<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-22/2015/464/78-2-2015-65आई.टी./2013</u>

प्रेषक,

जी0एस0 प्रियदर्शी,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

1. चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

<u>आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु-2</u> <u>लखनऊ:दिनांक: 10 अप्रैल, 2015</u>

विषय:- डिजिटल साक्षरता अभियान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अर्द्ध शा0प0 संख्या-एल-14015/38/2014-एचआरडी दिनांक 09.03.2015 का संलग्नकों सहित (छायाप्रतियॉ संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को डिजिटली लिट्रेट बनाने का लक्ष्य है एवं इसके अतिरिक्त समस्त आशा कर्मियों, अधिकृत राशन कार्ड डीलर्स एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटली लिट्रेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

2. उक्त कार्य हेतु सी.एस.सी.-ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। डिजिटल साक्षरता अभियान में रजिस्ट्रेशन एवं प्रशिक्षण हेतु अधिकृत जन सेवा केन्द्रों एवं अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची वेब लिंक http://www.ndlm.in/list-of-disha-training-centers पर उपलब्ध है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वेब लिंक पर उपलब्ध केन्द्रों की सूची को समस्त आशा कर्मियों, अधिकृत राशन कार्ड डीलर्स एवं आगनवाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। ताकि उक्त कर्मियों द्वारा डिजिटल साक्षरता अभियान में अपना इनरोलमेन्ट कराया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 22/2015/464(1)/78-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारियों को जनपदों में उपलब्ध परमानेन्ट इनरोलमेन्ट सेन्टर्स की सूची इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने-अपने जनपदों में डिजिटल लिटरेसी अभियान के अन्तर्गत स्पेशल कैम्प लगाकर आशा कर्मियों, अधिकृत राशन कार्ड डीलर्स एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का आधार इनरोलमेन्ट कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, अशोक मार्ग, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, अपट्रान भवन निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।